न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3547–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 30–11–13 पारित कलेक्टर जिला देवास प्रकरण कमांक 28/2012–13 स्व निगरानी.

1– कैलाशचन्द पिता पुनमचन्द सोनी
नि0 जमना नगर, देवास, म0प्र0
2– राकेशसिंह पिता रामस्वरूपसिंह
नि0 ग्राम बिलावली, तह0 व
जिला देवास, म0प्र0 ––– आवेदकगण

विरूध्द

ठाकोरसिंह पिता देवीसिंह कलौता
मृतक तर्फे वारिस–
1– श्रीमती भूरीबाई विधवा विष्णु कलौता
2– महेश पिता ठाकोरसिंह कलौता
दोनों नि0 ग्राम बिलावली, तह0 व
जिला देवास, म0प्र0
3– म0प्र0 शासन ––– अनावेदकगण

आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी–अभिभाषक
अना. क. 1, 2 एक पक्षीय
अना. क. 3 शासन की ओर से श्री डी. के. शुक्ला शास. अभि.

आदेश

(आज दिनांक २५ अप्रैल ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर जिला देवास के स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 28/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–11–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला देवास ने नामान्तरण पंजी वर्ष 2010 की प्रविष्टि क0 75 में

को स्वमेव निगरानी में दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों को सूचनापत्र जारी करने के आदेश दिये। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 30–11–13 में यह निष्कर्ष निकाला है कि संहिता की धारा 178 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम 2,4 तथा 6 में उल्लेखित प्रकिया का पालन नहीं किया गया और ना ही स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित की गयी। अतः कलेक्टर व्दारा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–4–11 स्वमेव निगरानी में निरस्त किया गया है। इस आदेश के विरूध्द यह निगरानी आवेदकगण व्दारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम बिलावली स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 7.110 हे0 ठाकोरसिंह पिता देवीसिंह के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित थी। ठाकोरसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का बंटवारा अपने पुत्र महेश एवं पूर्व मृत पुत्र विष्णु की पत्नि भूरीबाई के मध्य तहसील न्यायालय के माध्यम से किया जो तहसील न्यायालय व्दारा नामान्तरण पंजी प्रविष्टि कमांक 75 दिनांक 10–3–2011 व्दारा स्वीकृत किया गया। बटवारे में भूरीबाई को ग्राम बिलावली की भूमि पैकि सर्वे नम्बर 51/1/6 पैकि रकबा 2.886 हे0 प्राप्त हुई। भूरीबाई ने आवेदकगण के हित में पंजीयत विक्रयपत्र कमांक 1–अ/1897 दिनांक 28–3–12 व्दारा 0.223 हे0 निष्पादित किया। इस विक्रयपत्र के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण दिनांक 13–2–2013 को स्वीकृत किया गया और आवेदकगण को ऋण पुस्तिका प्रदाय की गयी। कलेक्टर व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। उनका यह भी तर्क है कि भूमिस्वामी को अपने जीवनकाल में अपने विधिक वारिसों में भूमि विभाजन का अधिकार है। ठाकोरसिंह के किसी भी वारिस ने बटवारे को चुनौती नहीं दी गयी। प्रश्नाधीन भूमि निजी भूमि होने से शासन पक्ष का कोई अहित नहीं हुआ है, इसलिये कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी में बटवारा आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि स्वमेव निगरानी की कार्यवाही के लिये मान. उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने 180

दिन की समयावधि निर्धारित की है, इसलिये कलेक्टर की स्वमेव निगरानी कार्यवाही समयावधि बाह्य है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ नामान्तरण पंजी में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी ठाकोरसिंह व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का पारिवारिक बटवारा स्वयं तथा अपने पुत्र महेश एवं पूर्व मृत पुत्र विष्णु की पत्नि भूरीबाई के मध्य किया है। इस बटवारा आदेश को ठाकोरसिंह के किसी भी वारिस व्दारा सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गयी। कलेक्टर व्दारा जारी कारण बताओ सूचनापत्र का जबाव भूरीबाई विधवा विष्णु तथा महेश पिता ठाकोरसिंह व्दारा प्रस्तुत किया गया है जो कलेक्टर के अभिलेख पृष्ठ 78–80 पर उपलब्ध है जिसमें उत्तरदाता मृत ठाकोरसिंह के वैध वारिसान हैं, अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित किया है। जबाव में मृत ठाकोरसिंह व्दारा अपने जीवनकाल में ग्राम बिलावली स्थित भूमियॉ अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया जाना एवं उनके नाम नामान्तरण होना दर्शाते हुए कारण बताओ सूचनापत्र निरस्त करने का अनुरोध किया है। प्रश्नाधीन भूमि निजी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिसका पारिवारिक बटवारा भूमिस्वामी व्दारा अपने पुत्र एवं पुत्रबधू के मध्य किया है और इस बटवारा आदेश से किसी भी हितबध्द पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने स्वमेव निगरानी की कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया है। संहिता की धारा 178/110 के अन्तर्गत पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील योग्य है और किसी भी हितबध्द पक्षकार व्दारा सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग शासन हित में किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकरण में निजी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का पारिवारिक बटवारा भूमिस्वामी व्दारा स्वयं एवं अपने पुत्र एवं पुत्रबधू के मध्य किया है जिसे स्वमेव निगरानी में लगभग 2 वर्ष पश्चात कलेक्टर व्दारा निरस्त करना विधि संगत नहीं है क्योंकि भूमि निजी स्वामित्व की थी और कलेक्टर के आदेश के पश्चात भी निजी स्वामित्व अर्थात स्व. ठाकोरसिंह के नाम ही दर्ज होगी। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदकगण व्दारा पंजीयत विक्रयपत्र कमांक 1–अ/1897 दिनांक 28–3–12 व्दारा 0.223 हे0 खरीदकर इस विक्रयपत्र के आधार पर आवेदकगण

का नामान्तरण दिनांक 13–2–2013 को स्वीकृत होना एवं ऋण पुस्तिका प्रदाय की जाना बताया गया है, किन्तु कलेक्टर व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण हितबध्द पक्षकार होते हुए भी उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना कलेक्टर के अभिलेख से विदित नहीं होता जो नैसर्गिक न्याय सिध्दान्त के विपरीत है। ऐसी दशा में कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। कलेक्टर, जिला देवास का आदेश दिनांक 30–11–2013 निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप नामान्तरण पंजी क0 75 में पारित आदेश दिनांक 19–4–11 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,